प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिलाः**–ए.सी.बी. चौकी कोटा **थाना**.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या ...24/2023... **दिनांक**.........26/1/2023

2. **(1) अधिनियम– भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें – 7,7ए**
(2) अधिनियम– भारतीय दण्ड संहिता 1860 धारायें – 120बी
(3) अधिनियम...**धारायें –**..........................
(4) अन्य अधिनियम धारायें..

3. **(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या**..............511.........**समय**......6:05 P.M.......
(ब) अपराध घटने का दिन – बुधवार दिनांक – 25.01.2023 समय 09.50 ए.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 22.01.2023 समय 01.45 पी.एम.

4. **सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक – हस्तलिखित रिपोर्ट**

5. **घटना स्थलः–**
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– बजानिब पूर्व–दक्षिण व लगभग 75 किलोमीटर
(ब) पताः– मकान नम्बर – बी–268, न्यू नाकोडा कॉलोनी कोटा
जरायम देही संख्या.....................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना –

6. **परिवादी/सूचनाकर्ता :–**
(अ) नामः– श्री विजय कान्त शर्मा
(ब) पिता का नाम – श्री मदन गोपाल शर्मा
(स) जन्म तिथी/वर्ष 22.11.1985
(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या..**जारी होने की तिथी**...............
जारी होने की जगह..
(र) व्यवसाय– फर्टीलाईजर की दुकान
(ल) पता– तेलफेक्ट्री बांरा थाना कोतवाली बांरा जिला बांरा, राजस्थान।

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–**
1. श्रीमती निर्मला मेघवाल पत्नी श्री रामप्रसाद मेघवाल जाति मेघवाल उम्र 45 साल निवासी– मकान नम्बर बी–268, न्यू नाकोडा कोलोनी, बारां हाल सरपंच ग्राम पंचायत करनाहेडा जिला बारां
2. श्री रामप्रसाद पुत्र गोपी लाल जाति मेघवाल उम्र 57 साल निवासी– मकान नम्बर बी–268, न्यू नाकोडा कोलोनी, बारां हाल अध्यापक लेवल–1, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सम्बलपुर बारां

8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–**......................... शून्य..
9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).**
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य**.....8,000/
11. **पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**..
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–**

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.01.2023 को श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने मन पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष मे बुलाया तथा वहॉ उपस्थित परिवादी श्री विजय कान्त शर्मा से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा पेश एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए। इस पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री विजय कान्त शर्मा को साथ लेकर अपने कक्ष मे पहुँचा, परिवादी श्री विजय कान्त शर्मा द्वारा पेशशुदा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिसमे परिवादी ने अंकित किया है कि – "मै विजय कान्त शर्मा पुत्र मदन गोपाल शर्मा तेल फेक्ट्री बांरा का रहने वाला हूँ। ग्राम करनाहेडा तहसील व जिला बांरा मे मेरी फर्टिलाईजर की दूकान है, जो मैने किराये से ग्राम पंचायत का गोदाम किराये पर ले रखा है। जिसके संबंध मे मेरी फर्म महू दरबार फर्टिलाईजर एवं ग्राम पंचायत के बीच किरायानामा माह अप्रेल 2022 मे हो रखा है, जिसका किराया 300 रूपये प्रतिमाह है। मैने गोदाम की रिपेयरिंग करवाकर सितम्बर 2022 मे उसमे माल डाला था। ग्राम पंचायत करनाहेडा की सरपंच श्रीमती निर्मला मेघवाल व उसका पति रामप्रसाद मेघवाल गोदाम का किराया 2 हजार रूपये प्रतिमाह मुझसे अलग से मांग रहे है, मैने

किरायेनामे के अनुसार 300 रूपये प्रतिमाह जमा करवाने के लिए कहा तो उन्होने कहा कि 2 हजार रूपये प्रतिमाह के हिसाब से देने पडेगें नहीं तो गोदाम खाली कर दो। सरपंच श्रीमती निर्मला मेघवाल व उसका पति रामप्रसाद मुझ पर गोदाम खाली करवाने के लिए दबाव बना रहे है, जबकी किरायानामा की 1 साल की अवधि समाप्त होने मे अभी 3 माह बाकी है। गोदाम का 1 साल का कुल किराया 3600/रूपये ही बनता है, लेकिन गोदाम खाली नहीं करवाने की एवज मे सरपंच श्रीमती निर्मला मेघवाल व उसका पति रामप्रसाद मेघवाल मुझसे 2 हजार रूपये प्रतिमाह की रिश्वत मांग कर रहे है। मै उनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ बल्कि उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ।" परिवादी श्री विजय कान्त शर्मा को हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तो प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की ताईद की तथा मजीद दरयाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखना बताया। परिवादी ने बताया कि ग्राम पंचायत करनाहेडा के सरपंच श्रीमती निर्मला मेघवाल व उसका पति रामप्रसाद मेघवाल के बांरा मे ही रहते है, सुबह 10 बजे से पहले वे बांरा मे घर पर ही मिल जाते है, जो मुझसे उनके घर पर ही बात कर लेगें, दिनांक 23.01.2023 को मुझे सुल्तानपुर फर्टिलाईजर से संबंधित ट्रेनिंग मे जाना है, जिस कारण सरपंच से दिनांक 24.01.2023 को सुबह 9 बजे उसके बांरा स्थित घर पर बात हो जाएगी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरयाफ्त सें मामला रिश्वत लेन-देन का होने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आना पाये जाने सें गोपनीय सत्यापन करवाया जाना निश्चित किया। कार्यालय के मालखाने सें सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाया जाकर उसें चालू, बन्द करने तथा रिकार्डिंग करने की विधि परिवादी को अच्छी तरह से समझाई। परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान सरपंच श्रीमती निर्मला मेघवाल व उसके पति रामप्रसाद मेघवाल से उनके द्वारा मांगी गई रिश्वत के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करने तथा वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड करने के बारे मे समझाया। परिवादी का परिचय श्री बृजराज सिंह कानि0 159 से करवाया तथा श्री बृजराज सिंह को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों से अवगत कराया तथा रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन की निगरानी हेतु निर्देश दिए। परिवादी ने सरपंच श्रीमती निर्मला मेघवाल व उसके पति रामप्रसाद मेघवाल दिनांक 24.01.2023 को सुबह 9 बजे के लगभग बांरा स्थित उनके घर पर वार्ता होना बताया तथा सुबह जल्दी कोटा आना संभव नहीं होने से, बृजराज सिंह को डिजीटल वाईस रिकार्डर देकर बांरा भेजने के लिए कहा। इस पर श्री बृजराज सिंह कानि0 159 को दिनांक 24.01.2023 को डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु बांरा जाने हेतु पाबन्द किया। परिवादी श्री विजय कान्त शर्मा को गोपनीयता बनाए रखने एवं अन्य आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से रवाना किया।

दिनांक 24.01.2023 को समय 06.30 ए.एम पर मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर श्री बृजराज सिंह कानि0 159 को सुपुर्द किया, फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की। श्री बृजराज सिंह कानि0 159 को बांरा पहुँचकर परिवादी से मिलकर उसे डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द करने तथा रिश्वत मांग सत्यापन की निगरानी करने तथा अन्य आवश्यक देकर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु बांरा के लिए रवाना किया। समय 2.30 पी.एम पर श्री बृजराज सिंह कानि0 159 मय परिवादी श्री विजयकान्त शर्मा के उपस्थित कार्यालय आया। श्री बृजराज सिंह कानि0 159 ने डिजीटल वाईस रिकार्डर पेश कर बताया कि - मै कोटा से रोडवेज बस से रवाना होकर 9.00 बजे के लगभग बांरा पहुँचा, जहाँ मैने परिवादी से मोबाईल पर वार्ता की तो परिवादी श्री विजयकान्त शर्मा बस स्टेण्ड पर उपस्थित मिला। मैने परिवादी को सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर सोनी कम्पनी का मय मैमोरी कार्ड के दिया तथा रिकॉर्डर चालू, बन्द करने तथा रिकार्डिंग करने की विधि समझाई थी। मै परिवादी श्री विजयकान्त शर्मा के साथ उनकी मोटरसाईकिल पर बैठकर न्यू नाकोडा कॉलोनी मे पहुँचा, जहाँ सरपंच श्रीमती निर्मला मेघवाल के मकान से पास बाहर ही रूका था, परिवादी डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर सरपंच के मकान के अंदर चला गया था। लगभग 45 मिनट बाद परिवादी मकान के अंदर से वापस बाहर आया था, जिसने सरपंच व उसके पति से रिश्वत के बारे मे बात होना तथा वार्ता रिकार्डर मे रिकार्ड होना बताया था। मैने परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। मैने गोपनीय सत्यापन के दौरान यथासंभव निकट रहकर निगरानी की थी। मन पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकार्डर अपने पास सुरक्षित रखा। मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि मुझे सुबह 9 बजे बृजराज जी बांरा बस स्टेण्ड पर मिले थे, हम दोनो न्यू नाकोडा कॉलोनी मे पहुँचे थे, जहाँ

बृजराज जी सरपंच के मकान के पास बाहर रूक गए थे, मै डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर सरपंच के मकान के अंदर गया था, जहॉ पर मुझे सरपंच निर्मला मेघवाल व उनके पति रामप्रसाद मिले थे, जिनसे दोनो से मैने किराये के गोदाम के बारे मे बात की तो उन्होने मुझसे 2000रूपये प्रति माह के हिसाब से सितम्बर से अब तक 5 माह के 10 हजार रूपये मांगे, मैने उन्हे किरायेनामा के अनुसार तो 300रूपये प्रतिमाह ही किराया होना बताया तो सरपंच ने कहा कि फ्री मे ही साईन करते रहे, साईन की रिस्क भी फ्री मे ही ले हम, हमारे 2 पैसे भी नहीं बचे। मुझे सरपंच ने यह भी कहा की तू 300 पर ही अटक रहा है तो आज ही सामान हटा लेना व दुकान खाली कर देना। मैने 10 हजार से कम करने के लिए कहा तो सरपंच ने 8 हजार रूपये लेकर मुझे कल बुलाया है। हमारे बीच हुई सारी बातचीत रिकार्डर मे रिकार्ड हो गई है। श्री मुकेश कानि0 71 को अग्रिम कार्यवाही के लिए सरकारी कर्मचारी तलब कर लाने हेतु अधीक्षक एमबीएस हॉस्पीटल कोटा के नाम पत्र देकर रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना तो परिवादी के कथनों की तथा आरोपिता श्रीमती निर्मला मेघवाल व श्री रामप्रसाद मेघवाल के द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। श्री मुकेश कानि0 71 मय दो सरकारी कर्मचारी श्री देवकी नंदन बंसल पुत्र श्री रामचरण लाल बंसल जाति अग्रवाल उम्र 52 साल निवासी मकान नम्बर 26, अक्षरधाम कॉलोनी, थेकडा रोड, बोरखेडा कोटा हाला नर्सिंग ऑफिसर एमबीएस हॉस्पीटल कोटा तथा श्री अक्षय चौहान पुत्र श्री राजू चौहान जाति वाल्मिकी उम्र 30 साल निवासी न्यू पुलिस चौकी के पास कोटरी कोटा हाल वार्ड ब्वाय एमबीएस हॉस्पीटल कोटा के उपस्थित आए। परिवादी श्री विजयकान्त शर्मा व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री देवकी नंदन बंसल, श्री अक्षय चौहान का आपस में परिचय करवाया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही तो दोनो ने सहमति व्यक्त की। इस पर परिवादी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र उन्हे दिखाया तथा पढवाया जाकर प्रार्थना पत्र पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये। सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री बृजराज सिंह कानि. 159 सें लेपटोप में लगावाया जाकर, दिनांक 24.01.2023 को परिवादी श्री विजय कान्त शर्मा तथा आरोपीगण श्रीमती निर्मला मेघवाल सरपंच एवं उसके पति श्री रामप्रसाद मेघवाल के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को स्पीकर चालु कर गवाहान व परिवादी को सुनाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की श्री बृजराज सिंह कानि. 159 सें फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर सुरक्षित मालखाना मे रखवाया गया। परिवादी श्री विजयकान्त शर्मा ने बताया कि सरपंच श्रीमती निर्मला मेघवाल व उसके पति रामप्रसाद मेघवाल दिनांक 25.01.2023 को सुबह 9 बजे के लगभग बांरा स्थित उनके घर पर ही मिलेगे, जिन्होने मुझे 8 हजार रूपये लेकर उसके घर पर ही बुलाया है, वो मुझसे उनके घर पर रिश्वत की राशि लेगे। मै रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 8 हजार रूपये लेकर सुबह 8.30 बजे बांरा मे ही मिल जाउगा। परिवादी श्री विजयकान्त शर्मा को दिनांक 25.01.2023 को बांरा मे उपस्थित मिलने तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री देवकी नंदन बंसल, श्री अक्षय चौहान को समय 6.45 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित आने की हिदायत देकर रवाना किया गया। कार्यालय हाजा के जाप्ता को दिनांक 25.01.2023 को समय 6.30 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित आने की हिदायत दी गई। कार्यालय मे कमी जाप्ता की वजह से प्रभारी स्पेशल यूनिट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों कोटा को दिनांक 25.01.2023 को समय 6.30 एएम पर एक कानि0 कार्यालय मे भेजने हेतु निवेदन किया गया।

दिनांक 25.01.2023 को समय 6.45 ए.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री देवकी नंदन बंसल, श्री अक्षय चौहान उपस्थित कार्यालय हाजा आए। स्पेशल यूनिट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों कोटा से श्री अब्दुल सत्तार कानि0 उपस्थित आया। कार्यालय मे उपस्थित जाप्ता श्री ताराचन्द पुलिस निरीक्षक, श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 305, श्री देवेन्द्र सिह कानि0 304, श्री बृजराज सिंह कानि0 159, श्री मुकेश कानि0 71, श्रीमती सरोज महिला कानि0 104, श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 तथा श्री अब्दुल सत्तार कानि0 401 स्पेशल यूनिट भ्र.नि.ब्यूरों कोटा को परिवादी श्री विजय कान्त शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत करनाहेडा मे ग्राम पंचायत से माह अप्रेल 2022 से 300/रूपये प्रतिमाह पर किराये पर लिए गए गोदाम को खाली नहीं करवाने की एवज मे सरपंच श्रीमती निर्मला मेघवाल व उसके पति श्री रामप्रसाद मेघवाल द्वारा गोदाम का किराया 2000/रूपये प्रतिमाह के हिसाब से रिश्वत मांगने की शिकायत पर दिनांक 24.01.2023 को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन मे शिकायत तथा 8,000/रूपये की रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर

आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि लेकर बांरा मे स्थित घर मे बुलाने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के बारे मे तथा परिवादी विजय कान्त बांरा मे ही मिलने के बारे मे बताया। ट्रेप कार्यवाही मे हाथ घुलाई कार्यवाही मे प्रयोग मे ली जाने वाले गिलास, कॉच की शीशीयॉ साबुन पानी से अच्छी तरह से धुलवाये गए तथा जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह से घुलवाये गए। जाप्ता की तलाशी लिवायी जाकर विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। श्री अब्दुल सत्तार कानि0 से फिनोफ्थेलीन पाउडर का डिब्बा मालखाने से निकलावाकर सरकारी वाहन बोलेरो के डेसबोर्ड मे रखवाया गया। परिवादी श्री विजय कान्त से जर्ये मोबाईल वार्ता कर उसे कोटा–बॉरा हाईवे पर बांरा बाईपास पर स्थित मूंडली के बालाजी के मंदिर के सामने रोड पर मिलने के लिए पाबन्द किया। समय 7.30 ए.एम पर श्री ताराचन्द पुलिस निरीक्षक, श्री योगेन्द्र सिंह कानि0, श्री देवेन्द्र सिह कानि0 304, श्री मुकेश कानि0 71को सरकारी वाहन बोलेरों मय चालक श्री तॅवर सिंह कानि0 को बांरा से रवाना हुए तथा मन मन् पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया मय स्वतंत्र गवाहान श्री देवकी नंदन बंसल, श्री अक्षय चौहान, जाप्ता श्री बृजराज सिंह कानि0 159, श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 305, श्रीमती सरोज महिला कानि0 104, तथा श्री अब्दुल सत्तार कानि0 401 मय लेपटोप, ट्रेप बॉक्स व ट्रेप कार्यवाही में आने वाले आवश्यक उपकरणों व डिजीटल वाईस रिकार्डर सहित प्राईवेट वाहन से रवाना होकर समय 08.45 ए.एम पर कोटा–बॉरा हाईवे पर बांरा बाईपास पर स्थित मूंडली के बालाजी के मंदिर के सामने रोड पर पहुँचा, जहॉ पर परिवादी श्री विजय कान्त मय मोटरसाईकिल से उपस्थित मिला, परिवादी ने बताया कि रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 8,000/रूपये की लेकर आया हूँ तथा सरपंच व उसका पति दोनो अभी उसके घर पर ही मिलेगें, जो मुझसे रिश्वत की राशि लेगें। गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विजय कान्त शर्मा पुत्र मदन गोपाल शर्मा तेल फेक्ट्री बांरा ने आरोपिता श्रीमती निर्मला मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत करनाहेडा तहसील व जिला बांरा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 16 नोट कुल 8,000/– रूपये मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर फर्द पर अंकित किए। श्री अब्दुल सत्तार कानि0 स्पेशल यूनिट एसीबी कोटा से सरकारी वाहन बोलेरों के डेसबोर्ड मे रखी फिनोफ्थेलीन पाउडर की डिब्बा निकलवाया तथा परिवादी द्वारा पेश नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर श्री अब्दुल सत्तार कानि0 से उन नोटो पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री विजय कान्त शर्मा की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अक्षय चौहान से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 8,000/रूपये परिवादी के पहने हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब मे श्री अब्दुल सत्तार कानि0 से रखवाए। इसके बाद एक कॉंच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि0 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को परिवादी एवं गवाहान् को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया, उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व धोल को फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर का डिब्बा तथा कार्यवाही मे प्रयुक्त किया गया गिलास श्री अब्दुल सत्तार कानि0 के सुपुर्द कर एसीबी चौकी कोटा के लिए रवाना होने के निर्देश दिए। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें तथा रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर इशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु समझाईश दी। फर्द दृष्टांत नियमानुसार हस्तलेख से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। श्री अब्दुल सत्तार कानि0 को मय फिनोफ्थलीन पावडर का डिब्बा तथा कार्यवाही मे प्रयुक्त गिलास के एसीबी चौकी कोटा के लिए रवाना किया। समय 09.15 ए.एम पर परिवादी श्री विजय कान्त एवं श्री बृजराज सिंह कानि. को आरोपीगण के मकान के पास स्थित किडजी स्कूल के पास रूकने के निर्देश देकर परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया। श्री ताराचन्द पुलिस निरीक्षक, श्री

योगेन्द्र सिंह कानि0, श्री देवेन्द्र सिह कानि0 304, श्री मुकेश कानि0 71को सरकारी वाहन बोलेरों मय चालक श्री तॅवर सिंह कानि0 से रवाना हुए तथा मन मन् पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया मय स्वतंत्र गवाहान श्री देवकी नंदन बंसल, श्री अक्षय चौहान, जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 305, श्रीमती सरोज महिला कानि0 104, मय लेपटोप, ट्रेप बॉक्स व ट्रेप कार्यवाही में आने वाले आवश्यक उपकरणों सहित प्राईवेट वाहन से रवाना होकर आरोपीगण के मकान के पास स्थित किडजी स्कूल न्यू नाकोडा कॉलोनी पहुँचे। जहॉ परिवादी श्री विजय कान्त व श्री बृजराज सिंह कानि. उपस्थित मिले, परिवादी को रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता को रिकार्डर मे रिकार्ड करने की पुनः समझाईश की, स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को आरोपीगण के मकान की स्थिति के बारे मे बताया। परिवादी श्री विजय कान्त को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर स्वयं की मोटरसाईकिल से रिश्वत राशि के लेन–देन हेतु आरोपीगण के मकान के लिए रवाना किया, सरकारी वाहन बोलेरों व प्राईवेट वाहन को किडजी स्कूल के पास गली मे खडी करवायी तथा मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता के आरोपीगण के मकान के आस–पास परिवादी के ईशारे के इंतजार मे मुकीम हुआ।

समय 09.50 ए.एम पर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विजयकांत शर्मा ने मकान नम्बर बी–268, न्यू नाकोडा कोलोनी, बारां के मेन गेट से बाहर निकलकर अपने सिर पर हाथ फिराकर रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया, परिवादी के पास ही मकान के मेन गेट पर एक औरत व एक व्यक्ति खडे हुए दिखाई दिए। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया, दोनों स्वतंत्र गवाह श्री देवकी नन्दन बंसल व श्री अक्षय चौहान ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री ताराचन्द पु.नि. श्रीमति सरोज महिला कानि.104 , श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, श्री बृजराज सिंह कानि. 159, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 304, श्री मुकेश कानि. 71, श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 के पैदल चलकर परिवादी के पास पहुंचे। परिवादी ने अपने पास खडे हुये व्यक्तियों की तरफ ईशारा कर बताया कि यही सरपंच निर्मला मेघवाल व इनके पति रामप्रसाद जी हैं। सरपंच साहब के कहने पर मैने रिश्वत की राशि 8000/रूपये टी.वी. के शोकेस पर रखे है, मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि सरपंच साहब व इनके पति रामप्रसाद जी ने मुझसे रूपयों के बारे मे बातचीत की तथा रामप्रसाद जी ने दिन मे रूपये लेने के लिए कहा। सरपंच साहब ने मुझसे रूपयों के बारे मे पुछा तो मैने इन्हे कहा की मै 8 हजार रूपये लेकर आया हूॅ, फिर सरपंच साहब ने कहा कि ये मेरे पति अभी लेने सें मना कर रहे हैं, अभी आप इनको ले जाओ तथा फिर मैने कहा कि फिर मेरे पास सें खर्च हो जायेगें तो इनके ईशारा करने पर मैने बैठक मे टी.वी. के शोकेस पर 8 हजार रूपये रख दिए, फिर मेरे साथ बातें करते हुये दोनो बाहर तक आये तथा फिर मैने आपको आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्ति का इशारा किया। इस पर परिवादी के पास खडे हुये व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देकर अपने आने का मन्तव्य बताया व उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामप्रसाद पुत्र गोपी लाल जाति मेघवाल उम्र 57 साल निवासी– मकान नम्बर बी–268, न्यू नाकोडा कोलोनी, बारां हाल अध्यापक लेवल–1, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सम्बलपुर बांरा तथा महिला ने अपना नाम निर्मला मेघवाल पत्नि श्री रामप्रसाद मेघवाल जाति मेघवाल उम्र 45 साल निवासी– मकान नम्बर बी–268, न्यू नाकोडा कोलोनी, बारां हाल सरपंच ग्राम पंचायत करनाहेडा जिला बारां का होना बताया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ने मकान के अन्दर प्रवेश किया। श्रीमति निर्मला मेघवाल सें परिवादी सें लिये गये 8,000 रूपयों बाबत पूछा तो कहा कि मैने इनसें कोई रूपये नहीं लिये है, ये साजिश के तहत मेरे घर पर आया था तथा जबरदस्ती मेरे घर पर रूपये रखकर जा रहा था, मैने इसको कहा था कि इनको ले जाओ आप मुझे फंसा दोगे तब भी ये रूपये वापस नहीं लेकर गये। सरपंच निर्मला मेघवाल के पति श्री रामप्रसाद मेघवाल सें इस बाबत पूछा तो कहा कि यह अभी मेरे घर पर आया था तथा यह दुकान के किराये के रूपये लेकर आया था, मैने इसें दिन मे दुकान से रूपये लेने के लिए कहा था, मैने इससें घर पर रूपये लेने से मना कर दिया था। फिर ये मेरी पत्नी से बातचीत करने लग गया था, फिर इसने टी.वी. के शोकेस पर 8 हजार रूपये रख दिए थे, फिर हम दोनों इसके साथ बाहर गेट तक आ गए थे। इस पर परिवादी ने दोनों की बात का खण्डन करते हुये बताया कि ये झूंठ बोल रहे हैं ग्राम करना हेडा में मेरी फर्टीलाईजर की दुकान हैं। दुकान के लिए मैने ग्राम पचांयत का गोदाम किराये सें ले रखा हैं जिसका किराया 300 रूपये प्रतिमाह के हिसाब सें तय हुआ था, किन्तु ये सरपंच साहब एवं इनके पति मुझ सें 300 प्रतिमाह के स्थान पर 2000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब सें रूपये लेने के लिए दबाव बना रहे थे, जब मैने इनको कहा कि किरायानामा तो 300 रूपये ही बनता हैं

तो इन्होने कहा कि इतने में कोई गोदाम किराया पर मिलता हैं क्या? तुम्हे तो रसीद 300 रूपये की मिल जायेगी तथा किराया तो 2000 रूपये ही देना पडेगा नही तो गोदाम खाली कर दो। इसके बाद मैने एसीबी में शिकायत की तथा कल दिनांक 24.01.2023 को इनसें आकर मिला तो सरपंच साहब ने मुझ से किराया के अतिरिक्त 10,000 रूपये देने के लिए कहा जब मैने इनसें कहा कि थोडा बहुत कम करो तो इन्होने 8000 रूपये देने के लिए कहा। जिस पर आज मैं रकम लेकर आया तो रामप्रसाद जी ने मुझ से कहा कि कितने लाये हो तो मैने कहा कि कल बात हो गई थी उनसें (सरपंच) सें पूछ लो तो इन्होने सरपंच सें पूछा तो उसने कहा कि 8000 रूपये फिर इन्होने कहा कि 8000 रूपये। मैं रूपये निकालकर सरपंच साहब को देने लगा तो इन्होने कहा कि अभी मेरे पति मना कर रहे है, फिर इन्होने मुझे घर मे मौजूद इनके भाई को रूपये देने के लिए कहा, इस पर मैने सरपंच साहब से स्वयं ही लेने के लिए कहा तो इन्होने रूपये बैठक मे टी.वी. शोकेस पर रखने का ईशारा किया, जिस पर मैने टी.वी. शोकेस पर 8 हजार रूपये रखकर इन्हे बोल कर बता दिया था, फिर ये मेरे साथ बाते करती हुई मकान के मेन गेट से बाहर आ गई थी। तत्पश्चात डिजीटल वाईस रिकार्डर लेपटॉप मे लगाकर रिश्वत राशि लेन-देन के समय रिकार्ड हुई वार्ता को सुना तो परिवादी के कथनों तथा आरोपीगण द्वारा परिवादी से 8 हजार रूपयों के लेन-देन के संबंध मे वार्ता होना तथा परिवादी द्वारा रिश्वत राशि रखने की बात सरपंच से कहने की पुष्टि हुई। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। परिवादी के कथनों एवं वक्त रिश्वत लेन-देन रिकार्ड वार्ता से आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि टी.वी. के शोकेस पर रखवाकर ग्रहण किए जाने की पुष्टि होने से अग्रिम कार्यवाही प्रांरभ की गई। सरपंच श्रीमती निर्मला व सरपंच पति श्री रामप्रसाद की मौजूदगी में मकान में अन्दर बनी हुई बैठक में प्रवेश किया तथा दोनों की मौजूदगी में टी.वी. के शोकेस पर लगी कॉच की पट्टी पर सेट टॉप बॉक्स के पास रखे हुए रूपयों की ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया, जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री देवकी नन्दन बंसल से टी.वी. के शो केस पर रखे हुये रूपयों को उठवाया तथा फर्द पेशकशी व दृष्टान्त मे अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान करवाया तो हूबहू मिलान हुआ, बरामद नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न हैं-

क्0स0	नोटों का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 CK 719100
2.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 UE 829553
3.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 HA 552479
4.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 KH 171835
5.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 PK 105833
6.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 PP 522623
7.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 PK 690184
8.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 HQ 155748
9.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 CL 912338
10.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 MC 180378
11.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 DG 681154
12.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 CC 717166
13.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 HA 656002
14.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 CG 381143
15.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 CR 813950
16.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 BK 877454

उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। इसके पश्चात एक कांच के साफ गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया तत्पश्चात एक रूई के फोहे सें नोटों के बरामदगी स्थल को रगडकर उक्त फोहे को कांच के गिलास में बने घोल में धोया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क TVS-1, TVS-2 तथा रूई के फोहे को सुखाकर एक कपडे की थैली में सीलड मोहर कर थैली पर मार्क C अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी द्वारा बताए गए तथ्य सरपंच द्वारा मकान मे मौजूद उसके भाई को रूपये

देने के लिए कहने के संबंध मे सरपंच श्रीमती निर्मला मेघवाल से पुछा तो उन्होने बताया कि मेरे भाई अनिल कुमार कोटा से मेरे घर पर आए हुए है, इसलिए मैने विजय को रूपये उन्हे देने के लिए कह दिया था। इस पर परिवादी ने सरपंच की बात का खण्डन करते हुए कहा कि मुझे बातचीत के दौरान सरपंच साहब ने यह भी कहा था कि रूपये देने की बात गॉव मे किसी को मत बताना कि कितने रूपये दिए है, इनके ईशारा करने पर मैने 8 हजार रूपये टी. वी.के शोकेस पर रख दिए थे तथा रूपये रखने के बारे मे सरपंच साहब को मैने कह दिया था, फिर भी ये दोनों मेरे साथ–साथ कमरे से बाहर मेन गेट तक आ गए थे, कमरे से बाहर जाते समय इन्होने मुझे रूपये वापस उठाकर ले जाने के लिए भी नहीं कहा था। इस पर मकान मे मौजूद श्री अनिल कुमार को बुलाया तथा नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम अनिल कुमार पुत्र श्री रामगोपाल उम्र 52 साल निवासी मकान नम्बर 557, शांतिनगर भीमगंजमंडी कोटा मोबाईल नम्बर 9784685993 होना बताया। श्री अनिल कुमार से निर्मला मेघवाल द्वारा परिवादी विजय से रूपये लेने के लिए कहने के संबंध मे पुछा तो बताया कि यह व्यक्ति घर मे आए जब मै बाहर वाले कमरे मे बैठा था, मै इसको नहीं जानता हूॅ तथा ये किस काम से घर पर आया था मुझे पता नहीं है। ये आपस मे क्या बात कर रहे थे इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरी बहिन निर्मला ने मुझे रूपये लेने के संबंध मे कोई बात नहीं कही थी, मेरी बहिन निर्मला ने इससे क्या कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है। श्रीमती निर्मला मेघवाल सें परिवादी विजयकांत के द्वारा किराये सें लिये गये गोदाम के संबंध में पूछा तो बताया कि इनके द्वारा लिये गये गोदाम बाबत पंचायत सें 300 रूपये प्रतिमाह के हिसाब सें एग्रीमेंट हो रखा हैं। चूकीं परिवादी के कथन व लेनेदन ट्रांसकिप्ट से स्पष्ट हैं कि रिश्वत की राशि को दोनों आरोपीगण द्वारा हाथ नहीं लगाया हैं तथा रिश्वत राशि दोनों की मौजूदगी में रखने के बाद दोनों परिवादी के साथ ही मकान के बाहर तक आये हैं इसलिए दोनों की हाथ धुलाई की कार्यवाही नहीं की गई। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री विजयकांत शर्मा की फर्टीलाईजर की दुकान के लिये ग्राम पंचायत करनाहेडा सें किराये पर लिये गये गोदाम का किराया 300 रूपये प्रतिमाह के हिसाब सें एग्रीमेंट किया हुआ हैं, किन्तु सरपंच व उसके पति द्वारा परिवादी सें 300 प्रतिमाह के अलावा 2,000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब सें पृथक सें रूपये लेने के लिए दबाव बनाया गया तथा दौराने मांग सत्यापन आरोपीगण द्वारा परिवादी सें पांच महीने के हिसाब सें 10,000 रूपये देने की कहने तथा परिवादी द्वारा अनुरोध करने पर 8,000 रूपये दिनांक 25.01.2023 को लेकर आने की कहने तथा लेनदेन के समय परिवादी सें रिश्वत के संबंध में बात करने तथा ईशारा कर 8,000 रूपये टी.वी. शोकेस पर रखवाने तथा रिश्वती राशि 8,000/रूपये आरोपीगण के मकान में अन्दर टी. वी. शोकेस सें बरामद होने तथा रिश्वत राशि बरामदगी स्थल के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने सें आरोपीगण 1. श्रीमती निर्मला मेघवाल पत्नी श्री रामप्रसाद मेघवाल जाति मेघवाल उम्र 45 साल निवासी– मकान नम्बर बी–268, न्यू नाकोडा कोलोनी, बारां हाल सरपंच ग्राम पंचायत करनाहेडा जिला बारां तथा 2. श्री रामप्रसाद पुत्र गोपी लाल जाति मेघवाल उम्र 57 साल निवासी– मकान नम्बर बी–268, न्यू नाकोडा कोलोनी, बारां हाल अध्यापक लेवल–1, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सम्बलपुर बारा का कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है। फर्द बरामदगी नियमानुसार तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

इसके पश्चात सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री बृजराज सिंह कानि. 159 सें लेपटोप में लगावाया जाकर, दिनांक 25.01.2023 को परिवादी श्री विजय कान्त शर्मा तथा आरोपीगण श्रीमती निर्मला मेघवाल सरपंच एवं उसके पति श्री रामप्रसाद मेघवाल के मध्य हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता को स्पीकर चालु कर गवाहान व परिवादी को सुनाया गया। रिश्वत लेन–देन वार्ता की श्री बृजराज सिंह कानि. 159 सें फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दिनांक 24.01.2023 को परिवादी श्री विजयकांत एंव आरोपिया श्रीमती निर्मला मेघवाल एवं श्री रामप्रसाद मेघवाल के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमौरी कार्ड SanDisk 32 GB Micro sd में रिकॉर्ड किया गया था। उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में एक फाईल 230123_0926 जो 62,848 KB की तथा कुल समय 44 मिनट 41 सैकिण्ड की हैं तथा दिनांक 25.01.2023 को हुई रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त की वार्ता की फाईल 230124_0935, जो 22,503 KB की हैं तथा कुल समय 16 मिनट की हैं। डिजिटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड हुई उक्त दोनों वार्ताओं को श्री बृजराज सिह कानि0 159 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमौरी कार्ड को लेपटोप मे

लगाकर मेमौरी कार्ड सें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता लेपटोप के जर्ये 05 पेन ड्राईव iball PENDENT 16 GB USB 2.0 Flash Drive में कॉपी कर, एक पेन ड्राईव मय कवर न्यायालय हेतु, एक पेन ड्राईव आवाज के नमुना हेतु तथा दो पेन ड्राईव मय कवर आरोपीगण हेतु पृथक–पृथक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर किये तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगा हुआ मेमौरी कार्ड SanDisk 32 GB Micro sd निकालकर मय कवर न्यायालय हेतु कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर किया। फर्द डबिंग नियमानुसार तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपिया श्रीमती निर्मला मेघवाल हाल सरपंच ग्राम पंचायत करनाहेडा जिला बारां को परिवादी श्री विजय कान्त शर्मा से दिनांक 24.01.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 25.01.2023 को रिश्वत लेन–देन वार्ता, जिसे डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड किया गया था, उक्त वार्ताओं की आवाज का का एफ.एस. एल. सें परीक्षण कराने हेतु नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो नोटिस पर लिखित मे अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहती, अंकित कर लौटाया, जिसें शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री रामप्रसाद मेघवाल को परिवादी श्री विजय कान्त शर्मा से दिनांक 24.01.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 25.01.2023 को रिश्वत लेन–देन वार्ता, जिसे डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड किया गया था, उक्त वार्ताओं की आवाज का का एफ. एस.एल. सें परीक्षण कराने हेतु नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो नोटिस पर लिखित मे आवाज का नमूना नहीं देना चाहता, अंकित कर लौटाया, जिसें शामिल पत्रावली किया गया। आरोपिया श्रीमती निर्मला मेघवाल पत्नी श्री रामप्रसाद मेघवाल जाति मेघवाल उम्र 45 साल निवासी– मकान नम्बर बी–268, न्यू नाकोडा कोलोनी, बारां हाल सरपंच ग्राम पंचायत करनाहेडा जिला बारां को अतंर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी आई.पी.सी. नियमानुसार जर्ये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया जाकर हिरासत मे लिया गया। फर्द गिरफ्तारी शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री रामप्रसाद पुत्र गोपी लाल जाति मेघवाल उम्र 57 साल निवासी– मकान नम्बर बी–268, न्यू नाकोडा कोलोनी, बारां हाल अध्यापक लेवल–1, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सम्बलपुर बांरा को अतंर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी आई.पी.सी. नियमानुसार जर्ये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया जाकर हिरासत मे लिया गया। फर्द गिरफ्तारी शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विजय कान्त शर्मा पुत्र मदन गोपाल शर्मा तेल फेक्ट्री बांरा ने आरोपिता श्रीमती निर्मला मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत करनाहेडा तहसील व जिला बांरा की निशादेही से प्रकरण हाजा के घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका नियमानुसार तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

मौके पर कार्यवाही के पश्चात परिवादी श्री विजय कान्त शर्मा को रूख्सत किया। मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, हमराह जाप्ता तथा गिरफ्तारशुदा मुलजिमान श्रीमती निर्मला मेघवाल व श्री रामप्रसाद मेघवाल के सरकारी वाहन बोलेरों एवं प्राईवेट वाहन से मय बरामदशुदा रिश्वत राशि 8,000/रूपये का लिफाफा अनशील्ड, बरामदगी स्थल के धोवन की सील्डशुदा शीशीयॉ मार्क TVS-1, TVS-2 तथा रूई के फोहे का सील्डशुदा पेकिट मार्क C, चार सील्डशुदा पेकिट पेन ड्राईव के, एक पेन ड्राईव अनशील्ड एवं मेमोरी कार्ड का सील्डशुदा पेकिट तथा लेपटोप प्रिन्टर, ट्रेपबॉक्स एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों के बांरा से रवाना होकर कोटा पहुँचा, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री देवकी नंदन बंसल व श्री अक्षय चौहान को रूख्सत किया। ट्रेप कार्यवाही मे जप्तशुदा आर्टिकल्स बरामदशुदा रिश्वत राशि 8,000/रूपये का लिफाफा अनशील्ड, बरामदगी स्थल के धोवन की सील्डशुदा शीशीयॉ मार्क TVS-1, TVS-2, रूई के फोहे का सील्डशुदा पेकिट मार्क C, चार सील्डशुदा पेकिट पेन ड्राईव के, एक पेन ड्राईव खुला एवं मेमोरी कार्ड का सील्डशुदा पेकिट मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया।

समस्त कार्यवाही सें पाया गया हैं कि परिवादी श्री विजयकांत शर्मा की फर्टीलाईजर की दुकान के लिये ग्राम पंचायत करनाहेडा सें किराये पर लिये गये गोदाम का किराया 300 रूपये प्रतिमाह के हिसाब सें एग्रीमेंट किया हुआ हैं, किन्तु सरपंच व उसके पति द्वारा परिवादी सें 300 प्रतिमाह के अलावा 2,000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब सें पृथक सें रूपये लेने के लिए दबाव बनाया गया तथा दौराने मांग सत्यापन आरोपीगण द्वारा परिवादी सें पांच महीने के हिसाब सें 10,000 रूपये देने की कहने तथा परिवादी द्वारा अनुरोध करने पर 8,000 रूपये दिनांक 25.01.2023 को लेकर आने की कहने तथा लेनदेन के समय परिवादी सें रिश्वत के संबंध में बात करने तथा ईशारा कर 8,000 रूपये टी.वी. शोकेस पर रखवाने तथा रिश्वती राशि

8,000/रूपये आरोपीगण के मकान में अन्दर टी.वी. शोकेस सें बरामद होने तथा रिश्वत राशि बरामदगी स्थल के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने सें आरोपीगण 1. श्रीमती निर्मला मेघवाल पत्नी श्री रामप्रसाद मेघवाल जाति मेघवाल उम्र 45 साल निवासी– मकान नम्बर बी–268, न्यू नाकोडा कोलोनी, बारां हाल सरपंच ग्राम पंचायत करनाहेडा जिला बारां तथा 2. श्री रामप्रसाद पुत्र गोपी लाल जाति मेघवाल उम्र 57 साल निवासी– मकान नम्बर बी–268, न्यू नाकोडा कोलोनी, बारां हाल अध्यापक लेवल–1, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सम्बलपुर बांरा का कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आई.पी. सी. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है।

अतः आरोपीगण 1. श्रीमती निर्मला मेघवाल पत्नी श्री रामप्रसाद मेघवाल जाति मेघवाल उम्र 45 साल निवासी– मकान नम्बर बी–268, न्यू नाकोडा कोलोनी, बारां हाल सरपंच ग्राम पंचायत करनाहेडा जिला बारां तथा 2. श्री रामप्रसाद पुत्र गोपी लाल जाति मेघवाल उम्र 57 साल निवासी– मकान नम्बर बी–268, न्यू नाकोडा कोलोनी, बारां हाल अध्यापक लेवल–1, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सम्बलपुर बांरा के विरूद्ध धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी आई.पी.सी. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्र0नि0 ब्यूरों राजस्थान जयपुर की सेवामे कमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

(अजीत बगडोलिया)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अज़ीत बगडोलिया, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण श्रीमती निर्मला मेघवाल, सरपंच, ग्राम पंचायत करनाहेडा जिला बारां एवं उसका पति श्री रामप्रसाद मेघवाल, हाल अध्यापक, लेवल-1,राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सम्बलपुर जिला बारां के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 24/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26/1/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 183-87 दिनांक 26.1.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, बारां।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

26/1/23

उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।